

आलय अन्तर्गत अंचल अधिकारी, देवघर

क्रमांक सं० 1537/2008-09

Original copy of C.O. Deoghar disposed in
No. 1537/08-09 dt. 27.02.09 Applicant - Saw

Deo, copy of final order

Application
28.2.09

belong
2/3/09

ready
2/3/09

delivery
2/3/09

27/02/09

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका सविता देव

पिता/पति मुकेश प्रसाद देव

साकिन लखौरिया, थाना सारवाँ

जिला देवघर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका

मौजा मधुसूदन खौरा, थाना सं० 255

जमाबन्दी संख्या 44/3433, रकवा 2400 (दो हजार चार सौ) वर्गफीट

का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से स्थानीय वो राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 3743 (देवघर) दिनांक 31.12.08 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। विषयगत जमीन बसौड़ी सत्व की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण की अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा मधुसूदन खौरा, थाना

सं० 255, जमाबन्दी सं० 44/3433, दाम नं० दो पीठ 348 अंश देवघर

रकवा 2400 वर्गफीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका सविता देव

पिता/पति मुकेश प्रसाद देव

साकिन लखौरिया, थाना सारवाँ

जिला देवघर के नाम से (को) दी जाती

है। अनुशंसित लगान 10.00 (पस) रु० अलावे सेस वसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका

से 3.00 (तीन) रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र

निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

टिकेत कराया एवं शुद्ध किया।

अंचल अधिकारी,
देवघर।

ATTESTED
24.5.21
NOTARY REGD. NO. 10
GOVT OF JHAR
अंचल अधिकारी,
देवघर।

